

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम,
लखीमपुर खीरी**

पत्रांक : 1357 / M-17 / 127 दिनांक : 15 / 05 / 2017

ई० निविदा प्रकाशन सूचना

उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभाग द्वारा निम्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट बेस्ड निम्न सोलर आधारित मिनी वाटर सप्लाई योजना एवं पाइप पेयजल योजना हेतु विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से आनलाइन निविदा <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से दिनांक **02/06/2017** की अपरान्ह 17.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाओं को कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ में दिनांक **05/06/2017** की अपरान्ह 12:00 बजे निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी निविदा प्रपत्र दिनांक **27/05/2017** से दिनांक **02/06/2017** के मध्य वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से डाउनलोड एवं अपलोड किये जा सकते हैं। निविदा के सम्बन्ध में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	श्रेणी	धरोहर धनराशि (रु० में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
A	टी०टी०एस०पी० योजना				
1	विकास खण्ड – धौरहरा के अन्तर्गत परसा सोलर आधारित मिनी वाटर सप्लाई योजना के अन्तर्गत मिनी नलकूप, समसेंबुल पम्प समस्त पाइप एवं फिटिंग सहित, 5 कि०ली० क्षमता का एच०डी०पी०ई० स्टोरेज टैंक 3.00 मीटर स्टेजिंग सहित, सोलर पावर पैनल की सप्लाई एवं अधिष्ठापन एवं 1 कि.ली. क्षमता का आर०सी०सी० टी०टी०एस०पी० का 1.00 मी० की ऊँचाई पर निर्माण कार्य, ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु बोरिंग कराकर 110 एम.एम. पी.वी.सी. पाइप लोरिंग का कार्य, वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य।	C	35000.00	3000.00	6 माह
B	पाइप पेयजल योजलना				
1	विकास खण्ड – लखीमपुर के अन्तर्गत उदयपुर कैमहरा पाइप पेयजल योजना में वितरण प्रणाली एवं राइजिंगमेन एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य।	C	25000.00	2000.00	6 माह

निविदायें ऑनलाइन ही स्वीकार की जायेगी जिसके लिये निविदादाता को ई०-निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। समस्त अभिलेखों की स्कैण्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

शर्त :-

- क्रमांक 1 की निविदा उक्त कार्य में अनुभवी (जिनके द्वारा पूर्व में कार्य कराया गया हो) ठेकेदारों की ही स्वीकार की जायेगी।
- निविदा डाउनलोड एवं भरने के पश्चात वेबसाइट पर अपलोड करने के उपरान्त कार्यालय में दिनांक 03.06.2017 तक सील कर एक लिफाफे में डालना होगा जिस पर ठेकेदार द्वारा नाम व पता अंकित नहीं किया जायेगा। निम्नानुसार समस्त प्रपत्र पूर्ण होने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।

न०-1 – नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र, एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० मूल रूप में, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

न०-2 – हस्ताक्षर युक्त निविदा प्रपत्र (अपलोड किये गये शिड्यूल-जी की कापी संलग्न नहीं करनी है)

3. धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई., एच.डी.एफ.सी. तथा एक्सिस बैंक की एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 के रूप में, जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम, लखीमपुर-खीरी के नाम बन्धक रखते हुये जमा करना होगा । पूर्व में जमा अथवा अन्य कार्यों से सम्बद्ध कोई धनराशि मान्य नहीं होगी । पंजीकरण के समय जमा राशि को भी इसमें सम्मिलित नहीं माना जायेगा बिना धरोहर धनराशि के प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
4. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्य स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करना होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है ।
5. निविदादाता / बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी / ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने / बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
6. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगा ।
7. बिना कोई कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।
8. कार्य की सीमा किसी भी स्तर तक घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।
9. नियमानुसार जो भी व्यापार कर/आयकर एवं लेबर वेलफेयर सेस अथवा अन्य कोई कर या चुंगी आदि देय होगी ठेकेदार को देना होगा । विभाग इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा ।
10. निविदा स्वीकृत हो जाने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सिक्योरिटी मनी के रूप में कार्य लागत की 10% धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 एवं एन0एस0सी0 के रूप में जमा करनी होगी । जिसमें धरोहर धनराशि को सम्मिलित माना जायेगा । इसमें किसी प्रकार की छूट सम्भव नहीं होगी न ही पंजीकरण की राशि के कारण कोई छूट देना सम्भव होगा ।
11. निविदा स्वीकृत हो जाने पर यदि कोई ठेकेदार / फर्म कार्य नहीं करती है तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी ।
12. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।
13. निविदा तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में प्राप्त एवं खोली जायेगी ।
14. अनुबन्ध गठन से पूर्व श्रमिक पंजीयन कराना होगा ।
15. निविदादाताओं द्वारा डाली गई कम दरों की निविदा को स्वीकार करते समय अतिरिक्त परफार्मेंन्स सिक्योरिटी शासनादेश स0 622/23-12-2012-02/03 टी.सी. दिनांक 08.06.2012 के अनुरूप नियमानुसार ली जायेगी ।
क - 10 प्रतिशत तक बिलो दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर ।
ख - 10 प्रतिशत से अधिक बिलो दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर ।

(अखिलानन्द

उपाध्याय)

अधिशासी

अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम,
लखीमपुर खीरी

दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशनार्थ निविदा सूचना

उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड धौरहरा के अन्तर्गत परसा सोलर आधारित मिनी वाटर सप्लाई योजना के अन्तर्गत मिनी नलकूप, समसंबुल पम्प समस्त पाइप एवं फिटिंग सहित, 5 कि०ली० क्षमता का एच०डी०पी०ई० स्टोरेज टैंक 3.00 मीटर स्टेजिंग सहित, सोलर पावर पैनल की सप्लाई एवं अधिष्ठापन एवं 1 कि.ली. क्षमता का आर०सी०सी० टी०टी०एस०पी० का 1.00 मी० की ऊर्चोई पर निर्माण कार्य , ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु बोरिंग कराकर 110 एम.एम. पी.वी.सी. पाइप लोरिंग का कार्य, वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य , विकास खण्ड लखीमपुर के अन्तर्गत उदयपुर कैमहरा पाइप पेयजल योजना में वितरण प्रणाली एवं राइजिंगमेन एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य हेतु निविदा दिनांक **02-06-2017** की अपरान्ह 17.00 बजे आमत्रित की जाती है जो दिनांक **05-06-2017** को अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के कार्यालय में खोली जायेगी । निविदा प्रपत्र दिनांक **27/05/2017** से दिनांक **02/06/2017** के मध्य वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से डाउनलोड किये जा सकते हैं । निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निविदा कार्यो का विस्तृत विवरण उ०प्र० शासन क ई-प्रक्योमेन्ट (e-procurement) के वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से प्राप्त करें ।

निविदायें ऑनलाइन ही स्वीकार की जायेगी जिसके जिसे निविदादाता (पाइप लाइन कार्य में उ०प्र० जलनिगम में पंजीकृत) को ई०-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करना होगी ।

(अखिलानन्द
उपाध्याय)

अधिशासी

अभियन्ता